झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

अष्टम् (बजट) सत्र

वर्ग–01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 16 फाल्गुन, 1943 (श0) ..... को 07 मार्च, 2022 (ई0) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
''क''	07–का–13	सुश्री अम्बा प्रसाद,	पद सृजित करना	कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22.02.2022

नोट :– ''का''– 13, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–1170, दिनांक–24 फरवरी,2022 के द्वारा उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग तथा पत्रांक–1171, दिनांक– 24,फरवरी,2022 द्वारा जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता एवं नगर विकास विभाग को स्थानान्तरित ।

नोट :– ''का''– 13, दिनांक–28.02.2022 से सदन द्वारा दिनांक–07.03.2022 के लिए स्थगित।

राँची।
दिनांक–07 मार्च,2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–01/2021–1015/वि0स0,रांची,दिनांक– 06/03/22

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
06.03.2022
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्य––प्रश्न–01/2021–1015/वि0स0,रांची,दिनांक– 06/03/22

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव, को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय, संयुक्त सचिव,प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
06.03.2022
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या– – प्रश्न–01/2021–1015/वि0स0,रांची,दिनांक– 06/03/22

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
06.03.2022
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

06/03/22

सत्यमेव जयते

पंचम्

झारखण्ड विधान सभा

अष्टम् (बजट) सत्र

वर्ग–1

दिनांक 16 फाल्गुन, 1943 (श0)
07 मार्च, 2022 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या– 01 (एक)

(1) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग– 01 (एक)

कुल योग– 01 (एक)

पद सृजित करना

सुश्री अम्बा प्रसाद, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पुछा गया तारांकित प्रश्न संख्या का0–13 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	प्रभारी मंत्री, उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि जे.एस.एस.सी. के द्वारा जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता कृषि व नगर विकास विभागों के अधियाचना के पश्चात् कुल 1289 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है;	जल संसाधन विभाग,पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, राँची की अधियाचना के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा कुल 1296 कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/सिविल/कृषि/विद्युत अभियंत्रण) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या–06/2021 एवं 02/2022 प्रकाशित किया गया है।
2– क्या यह बात सही है कि उक्त डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2021 के आलोक में सिविल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर व मेकेनिकल इंजीनियरिंग के जूनियर इंजीनियरों के पदों पर बहाली होनी है, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधित इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा है;	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के अधिसूचना संख्या–7942 दिनांक– 17.12.2021 के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 का गठन किया गया है। उक्त नियमावली की अनुसूची 1 में शामिल कनीय अभियंता सिविल/यांत्रिकी/विद्युत/कृषि अभियंत्रण, मोटरयान निरीक्षक एवं खान निरीक्षक के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् निर्धारित है :– "विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/विद्युत/यांत्रिक/कृषि अथवा संबंधित अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे।"
3– क्या यह बात सही है कि राज्य भर में सरकारी एवं निजी इंजीनियरिंग/ पॉलिटेक्निक संस्थानों से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी डिग्री/डिप्लोमा धारण कर पास होते हैं ;	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2020–2021 में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 552 तथा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6313 है।
4–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के डिग्री/ डिप्लोमा धारी अभ्यर्थियों के लिए पद सृजित करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त विभागों के अधीन कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के डिग्री/ डिप्लोमा धारी अभ्यर्थियों के लिए पद सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

अष्टम (बजट) सत्र

वर्ग-01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक - 16, फाल्गुन, 1943 (श0) / 07, मार्च, 2022 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
216.	ग-29	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	भुगतान पर रोक लगाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	25.02.22
217.	ग-34	श्री ढुलू महतो	मनोनीत करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	26.02.22
218.	का-18	सुश्री अम्बा प्रसाद	रोजगार देना।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	26.02.22
219.	ग-28	श्री नारायण दास	सुरक्षा दिलाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	25.02.22
*220.	ग-35	श्रीमती सीता सोरेन	विकास प्राधिकार का गठन।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	28.02.22
221.	ग-37	श्री अमित कुमार यादव	अग्निशमन केन्द्र खोलना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	28.02.22
222.	ग-21	श्री अनन्त कुमार ओझा	पुलिस को भत्ता देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	25.02.22

Handwritten marks: उत्तर संख्या / उ.सं. beside 216, 217, 219, 221, 222.

* गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-847, दिनांक-02/03/2022 के द्वारा शहरी विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06.
223.	ग–08	श्री बिरंची नारायण	कार्यशैली में सुधार लाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.22
224.	का–21	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	नियुक्ति करना।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	26.02.22
225.	ग–27	श्री नारायण दास	सुरक्षा व्यवस्था करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	25.02.22
226.	ग–18	श्री केदार हजरा	पुलिस ओ0पी0 खोलना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	25.02.22
227.	का–23	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	दोषी के विरूद्ध कार्रवाई।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	26.02.22
228.	ग–17	श्री समीर कुमार मोहंती	वाहन उपलब्ध कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	25.02.22
229.	ग–32	श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता	महिला थाना स्थापित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	26.02.22
230.	का–04	श्री बिरंची नारायण	प्रोन्नती देना।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	22.02.22
231.	का–17	श्री अनन्त कुमार ओझा	अनुसूचित जाति का दर्जा देना।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	26.02.22
232.	का–09	श्री बंधु तिर्की	नियोजन नीति का निर्माण करना।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	22.02.22
233.	ग–03	श्री कमलेश कुमार सिंह	पंचायत को सम्मिलित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.02.22
234.	ग–05	श्री विनोद कुमार सिंह	आश्रितों को मुआवजा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.02.22
235.	ग–20	श्री नवीन जयसवाल	गृह रक्षकों को भत्ता देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	25.02.22
236.	ग–04	श्री कमलेश कुमार सिंह	भवन का निर्माण।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.02.22
237.	ग–31	श्रीमती ममता देवी	थाना का निर्माण।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	25.02.22

क्र0पृ0उ0/–

01.	02.	03.	04.	05.	06.
238.	वि–04	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	भवन निर्माण करना।	वित्त	26.02.22
	* (वित्त विभाग के ज्ञापांक–31/वि0वि0, दिनांक–28/02/2022 के द्वारा विधि विभाग में स्थानान्तरित)				
239.	का–20	श्री अमित कुमार मंडल	स्थानान्तरण करना।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	26.02.22
240.	ग–30	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	बुनियादी सुविधा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	25.02.22
241.	ग–26	डॉ0 इरफान अंसारी	अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.22
242.	वि–03	श्री सरयू राय	वित्त आयोग का गठन।	वित्त	25.02.22
243.	ग–39	श्री समीर कुमार मोहंती	भत्ता का लाभ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	01.03.22
244.	का–03	डॉ0 लम्बोदर महतो	स्थानीय नीति निर्धारण करना।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	22.02.22
* 245.	का–22	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	पुलिस थाना खोलना।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	26.02.22
246.	का–02	डॉ0 लम्बोदर महतो	SC/ST की सूचि में शामिल करना।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	17.02.22
247.	का–25	श्री अमित कुमार मंडल	अंगिका भाषा को सम्मिलित करना।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	28.02.22
248.	का–27	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	कानूनी कार्रवाई करना।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	01.03.22
249.	का–10	श्री मनीष जायसवाल	परीक्षा शुल्क वापस करना।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	22.02.22
250.	ग–22	श्री प्रदीप यादव	दोषियों पर कार्रवाई।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	25.02.22
251.	जन–01	श्री निरल पुरती	फिल्म का निर्माण।	सूचना एवं जनसम्पर्क	25.02.22
252.	का–24	श्री राजेश कच्छप	स्थानान्तरण करना।	कार्मिक,प्र0सु0 तथा राजभाषा	26.02.22

* कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक–1302, दिनांक–28/02/2022 के द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानान्तरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06.
253.	ग–33	श्री राजेश कच्छप	पेंशन योजना का लाभ देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	26.02.22

राँची,
दिनांक– 07, मार्च, 2022 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्रश्न–01/2021–.....844...../वि0स0, राँची, दिनांक–03/03/22

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
04/03/2022
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्रश्न–01/2021–.....844...../वि0स0, राँची, दिनांक–03/03/22

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
04/03/2022
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्रश्न–01/2021–.....844...../वि0स0, राँची, दिनांक–03/03/22

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ बेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
04/03/2022
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

एक्का/–

02/03/2022

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पाण्डु प्रखण्ड मुख्यालय में वर्ष 2000 में पुलिस भवन निर्माण की स्वीकृति सरकार से मिली है;	अस्वीकारात्मक । पलामू जिलान्तर्गत पाण्डू में समेकित एवं सुरक्षित थाना भवन के निर्माण कार्य हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–203/टी०एस०, दिनांक–09.05.2019 के द्वारा स्वीकृति दी गई है।
2	क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा भवन का निर्माण घटिया किस्म के सामग्री से तथा प्राक्कलन के अनुसार निर्माण नहीं कराया जा रहा है जो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है;	मुख्य अभियंता झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भवन का निर्माण कार्य दिनांक 07.03.2021 को प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक 31.01.2022 तक 95% कार्य पूर्ण करा लिया गया है। कार्य एकरारनामा शर्तो के अनुरूप कराया जा रहा है तथा कार्यपालक अभियंता, पलामू प्रमण्डल पलामू द्वारा कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर BIT Sindri से जाँच कराया गया है, जिससे संबंधित प्रतिवेदन संलग्न है (छायाप्रति संलग्न)।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त संवेदक पर आवश्यक कार्रवाई करने तथा भुगतान पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (तारांकित)–803/2022–...910...../ राँची, दिनांक– 06/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–589, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

217

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–34 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जेल मेनुअल के अनुसार सभी जेलों में कारा क्रय समिति में धार्मिक अनुदेशक एवं जेल विजीटर के रूप में गैर सरकारी सदस्य को मनोनीत करना है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के मात्र दो जेलों में धार्मिक अनुदेशकों को पुराने दर पर मानदेय दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि गैर सरकारी जेल विजीटर कारा क्रय समिति में गैर सरकारी सदस्य मनोनीत नहीं किये जाने के कारण राज्य के जेलों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं;	अस्वीकारात्मक। कराओं में क्रय का कार्य वर्त्तमान में उपायुक्त/उनके द्वारा नामित पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला क्रय समिति द्वारा किया जा रहा है। फलस्वरूप जेल का कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जेल मेनुअल के अनुसार राज्य के सभी जेलों में धार्मिक अनुदेशक, गैर सरकारी जेल विजीटर कारा क्रय समिति में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	राज्य के सभी जेलों में धार्मिक अनुदेशक का मानदेय वृद्धि, गैर सरकारी जेल विजीटर एवं कारा क्रय समिति में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–05/2022–.....901...../ राँची, दिनांक– 06/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–650, दिनांक–26.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री नारायण दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–28 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में साईबर क्राईम अपराध के मामले में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, जिससे खासकर संथाल परगना प्रमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत जिलों में आए दिन अन्य राज्यों की पुलिस छापेमानी एवं अन्यान्य जाँच के लिए आते रहती है,	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही कि विगत छः माह में देवघर, जामताड़ा, दुमका जिले, में साईबर क्राईम के मामले में कई संदिग्धों की गिरफतारियाँ और उनपर केस दर्ज किए गए है, परन्तु साईबर क्राईम के रोकथाम हेतु विशेष निगरानी नहीं बरती जा रही है, जिससे यहाँ के साथ–साथ अन्य राज्यों के निवासियों को कठिनाईयाँ हो रही है,	आंशिक स्वीकारात्मक। विगत छः माह में देवघर, जामताड़ा, दुमका में साईबर क्राईम के मामले में कई संदिग्धों की गिरफ्तारियाँ और उन पर केस दर्ज किये गए हैं तथा साईबर क्राईम के रोकथाम हेतु देश के सभी प्रांतों में नागरिकों की जागरूकता हेतु बृहद पैमाने पर कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। डायल 100/112 के माध्यम से साईबर अपराधकर्मियों के बारे में राज्य के सजग नागरिकों से प्राप्त सूचना के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु संबंधित जिलों को आवश्यक निदेश समय–समय पर भेजा जाता है। झारखंड पुलिस द्वारा साईबर अपराध के अनुसंधानकर्त्ताओं के सहयोग हेतु Online Investigation Cooperation Request for Cyber Crime मंच का सफल संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्त्ताओं को अपराधकर्मियों के संबंध में अपेक्षित आवश्यक सहयोग समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से संबंधित जिला/थाना से उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे साईबर अपराधकर्मियों पर काफी अंकुश लगा है। देवघर, जामताड़ा, दुमका में साईबरक्राईम के मामले में जिन संदिग्धो की गिरफ्तारियाँ और उन पर कांड दर्ज किये गए है, उनके पास से जप्त प्रदर्शो एवं साक्ष्यों को भारत सरकार द्वारा संचालित Indian Cyber Crime Co-ordination Center (I4C) एवं Joint Cyber Crime Co-ordination and Investigation Team (JCCIT) के माध्यम से सभी राज्य की पुलिस तक साझा कर उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे संलिप्त साईबर अपराधियों को उनके संबंधित कांडो में रिमांड कर उनके विरूद्ध संबंधित न्यायालय में आवश्यक न्यायिक कार्रवाई की जा सके । साईबर क्राईम की रोक–थाम हेतु विशेष निगरानी रखी जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संचाल परगना प्रमण्डल अन्तर्गत देवघर जिला मुख्यालय में साईबर क्राईम कंट्रोल यूनिट का मुख्यालय स्थापित कर राज्य व अन्य राज्यों के आमजन को साईबर क्राईम से संरक्षा एवं सुरक्षा दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	देवघर जिला में साईबर थाना का सृजन किया गया है तथा साईबर अपराध के रोकथाम हेतु एक पुलिस उपाधीक्षक की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक:–09/वि0स0(10)–01/2022....915..../ राँची, दिनांक–..06/03/2022 ई0

प्रतिलिपि:–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–591/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

(220)

श्रीमती सीता सोरेन, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–35 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार संथाल परगना विकास प्राधिकार का गठन अभी तक नहीं किया जा सका है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या 6058 दिनांक 21.12.2018 के द्वारा संथाल परगना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना प्राधिकार के गठन से संथाल परगना के क्षेत्र में विकास के कार्यों को गति मिलेगी;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संथाल परगना विकास प्राधिकार के गठन को लेकर कोई सकारात्मक कदम बढ़ाना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड 1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–01/वि.मं. प्र.–05/2022/न०वि०आ० 816 राँची, दिनांक :– 04/03/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–757 वि०स० दिनांक–28.02.2022 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/2022
सरकार के अवर सचिव।

221

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–37 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य के सभी अनुमण्डल मुख्यालों में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये गये है, जिसके तहत् हजारीबाग जिला के बरही अनुमण्डल मुख्यालय में भी अग्निशमन केन्द्र संचालित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बरही से चलकुशा एवं बरकट्ठा प्रखण्ड की दूरी अधिक होने के कारण आगजनी होने पर ससमय दमकल गाड़ी पहुँच नहीं पाती है;	अस्वीकारात्मक। चलकुशा एवं बरकट्ठा प्रखण्ड में आगजनी की घटना की सूचना मिलतें ही अनुमण्डल मुख्यालय बरही से अग्निशमन वाहन भेजकर त्वरित कार्रवाई की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार लोकहित में चलकुशा एवं बरकट्ठा प्रखण्ड मुख्यालय के साथ–साथ राज्य के सभी प्रखण्ड मुख्यालयों में अग्निशामन केन्द्र खोलना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अग्निकांड की घटनाओं के मद्देनजर प्रथम चरण में राज्य अत्यंत संवेदनशील शहरी क्षेत्र एवं नव सृजित अनुमंडल मुख्यालयों में एवं द्वितीय चरण में राज्य के प्रखण्ड स्तर पर अग्निशामालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। अनुमंडल मुख्यालय में अग्निशमन कार्यालय खोले जाने के पश्चात् प्रखण्ड स्तर पर अग्निशमन कार्यालय खोलने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05 / वि०स०प्रश्न–07 / 02 / 2022–...918.../ राँची, दिनांक– 06/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–756, दिनांक–28.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06-03-2022
सरकार के उप सचिव।

श्री अनन्त ओझा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पुलिस के आरक्षी से लेकर पुलिस निरीक्षक पंक्ति के पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता तथा वर्दी धुलाई भत्ता का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह वर्दी धुलाई भत्ता तथा प्रत्येक वर्ष वर्दी भत्ता दिया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह वर्दी धुलाई भत्ता नही दिया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पुलिस हस्तक में झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति के पदाधिकारियों को वर्दी भत्ता तथा धुलाई भत्ता देने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०–3839, दिनांक–08.02.1997 द्वारा पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति के पदाधिकारियों को एक हजार रूपये प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता प्रावधानित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति के पुलिस पदाधिकारियों को राज्य पुलिस सेवा संवर्ग में योगदान की तिथि से मंहगाई के आनुपातिक वृद्धि की दर से वर्दी भत्ता तथा वर्दी धुलाई भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०–8003/2022–...901.../ राँची, दिनांक– 06/03/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–585, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

223

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–08 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि विगत 2 वर्षों से सरकार के गठन के बाद माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जानेवाला झारखण्ड पुलिस द्वारा प्रकाशित अपराध की स्थिति पर वार्षिक–प्रतिवेदन की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं करायी जा रही है,	आंशिक स्वीकारात्मक। अभी ऐसी कोई पत्रिका प्रकाशित नहीं की जा रही है। जिलावार मासिक / वार्षिक अपराध ऑकड़ा झारखण्ड पुलिस के वेवसाइट पर उपलब्ध है।
2. क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्यभर में विगत 2 वर्षों से करीब 3451 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं एवं 1200 लूट की घटनाएं सहित अपहरण, नक्सल वारदात, डकैती, डायन हत्या, इत्यादि कुल मिलाकर 114000 से अधिक अपराध घटित हुए है,	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य में कई ब्लाइंड केस जैसे– पिंडराजोड़ा थाना कांड संख्या–161 / 2020, चास मुफस्सिल थाना कांड संख्या–07 / 2021, बेरमो थाना कांड संख्या–17 / 2021 एवं हजारीबाग (सदर) थाना कांड संख्या–346 / 2018 इत्यादि आजतक लंबित हैं, जिनमें पुलिस आज तक अपराधियों का पता नहीं लगा सकी है।	वर्णित काण्डों में सभी बिन्दुओ / पहलुओं पर वैज्ञानिक एवं पेशेवर तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है। काण्ड अनुसंधान अंतर्गत है।
4. क्या यह बात सही है कि 31 अगस्त, 2021 तक झारखण्ड पुलिस के पास विभिन्न जिलों में करीब 20653 वारंट, 5249 कुर्की एवं 47117 से अधिक केस अनुसंधान हेतु लंबित है,	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने एवं कंडिका–3 में वर्णित ब्लाइंड केस की जांच सीबीआई से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	काण्डों के उदभेदन हेतु पुलिस सतत प्रयत्नशील है। उक्त कंडिका 3 में वर्णित काण्ड के उदभेदन हेतु अनुसंधानकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांकः–08 / वि0स0(04)–03 / 2022......914..... / राँची, दिनांक–...06 / ...03.. / 2022 ई0

प्रतिलिपिः–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–151 / वि0स0, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\prem\Premanand\Sec 08 Vidhan Sabha Answer.doc 80

224

श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का0 01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के 24 जिलों के 43 नियोजनालयों में वर्ष 2019 में निबंधित आवेदकों की संख्या 85,122 थी और जनवरी 2020 से जून 2021 तक निबंधित आवेदकों की संख्या 5,60,722 है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित किया था और नौकरी नही दे सकने की स्थिति में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है तथा कर्मचारियों की कमी होने के कारण राज्य के विकास कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;	सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के मापदण्ड को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए पूर्व से गठित परीक्षा संचालन नियमावली में विसंगतियों का निराकरण करते हुए नई परीक्षा संचालन नियमावली के अनुरूप सभी विभागों से रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना प्राप्त कर ली गई है;	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए पूर्व से गठित परीक्षा संचालन नियमावलियें में विसंगतियों का निराकरण करते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/ 10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/ तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 का गठन किया गया है। उपर्युक्त नई परीक्षा संचालन नियमावलियों के अनुरूप सभी विभागों में पूर्व से गठित नियुक्ति/सेवाशर्त्त नियमावलियों में लगभग 40 से अधिक नियुक्ति/सेवाशर्त्त नियमावलियों में संशोधन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई है तथा विभिन्न विभागों से कुल 6838 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित की गई है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन के निमित्त अबतक 06 विज्ञापन प्रकाशित किये जा चुके है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला स्तर तथा सचिवालय स्तर पर रिक्त पदों पर नियुक्ति कर राज्य के विकास को गति प्रदान करने हेतु बेरोजगारों को वर्ष 2022 में रोजगार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि0स0–06–14 / 2022 का0 1399 / राँची दिनांक– 04 मार्च, 2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 645 दिनांक 26.02.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/2022

सरकार के अवर सचिव।

225

श्री नारायण दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–27 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को पत्र प्रेषित है,	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पत्र के आलोक में मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों की पूरी तरह सुरक्षा हेतु पुरूष और महिला कर्मियों की तैनाती हेतु विशेष व्यवस्था तथा अन्यान्य सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है,	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस0ओ0पी0) बनाने और सख्ती से पालन करने की आवश्यकता जताई है,	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं. तो क्या सरकार केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार के खण्ड–1 में प्रेषित पत्र के आलोक में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक बाबा बैद्यनाथ मंदिर एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	देवघर बाबा मंदिर में विशेष पूजा के समय अतिरिक्त पुरूष एवं महिला बलों की प्रतिनियुक्ति की जाती है, अतिरिक्त सुरक्षा संसाधन लगाये जाते है, सुरक्षा उपकरण DFMD (Door Frame Metal Detector), HHMD (Hand Held Metal Detector) तथा BDS (Bomb Disposal Squad) की प्रतिनियुक्ति की जाती रही है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र में उल्लेखित अन्य सुरक्षा उपायों को भी लागू करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांकः–08 / वि0स0(04)–08 / 2022......216...... / राँची, दिनांक–...06.. / ..03.. / ..2022.. ई0

प्रतिलिपिः–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–586 / वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

श्री केदार हजरा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के पंचायत कारोडीह में अबतक पुलिस ओ0पी0 का स्वीकृति नहीं दी गयी है, जबकि संयुक्त विहार के कारोडीह में खाता नं0–63, प्लॉट नं0–516 में पुलिस ओ0पी0 दर्ज है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड "1" में निहित ओ0पी0 का निर्माण की स्वीकृति हेतु पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के पत्रांक–3393, दिनांक–21.12.2021 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) झारखण्ड, राँची को पद सृजन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि कारोडीह एवं इसके लगे पंचायतों की गाँवों में रहने वाले ग्रामीणों को करीब–12 से लेकर 20 कि0मी0 की दूरी तय कर जमुआ थाना जाना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमुआ थाना के कारोडीह में पुलिस ओ0पी0 खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. वर्त्तमान में इस तरह को कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। 2. प्रश्न प्राप्त होने के पश्चात् इस संबंध में प्रस्ताव की मांग पुलिस मुख्यालय, आयुक्त, उ०छो० प्रमण्डल, हजारीबाग एवं उपायुक्त, गिरिडीह से की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–03 / 2022–....910..... / राँची, दिनांक– 06/03/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–493, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

227

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का0 23 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के विज्ञापन संख्या 03/2015 के द्वारा झारखण्ड कृषि सेवा वर्ग (मूल कोटि) के सहायक कृषि निदेशक/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई गई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रेरणादीप पिता श्री नागेश्वर महतो क्रमांक 30151100 जो BC-I (अत्यंत पिछड़ा वर्ग–I) (एक) कोटि से उत्तीर्ण घोषित की गई, परन्तु अन्तिम समय में पिछड़ा वर्ग–II (दो) के आवेदिका क्रमांक 30151042 को BC-I में समायोजन किया गया, जिससे कोटि–I के अधिकार का हनन किया गया है, जो घोर अनियमितता का द्योतक है;	झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक 839 दिनांक 02.03.2022 एवं पत्रांक 760 दिनांक 24.02.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अभ्यर्थी कुमारी प्रेरणादीप अनुक्रमांक 30151100 मुख्य परीक्षा में BC-I आरक्षण श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित की गई थी। एक अन्य अभ्यर्थी नेहा कुमारी, अनुक्रमांक 30151042 का मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल BC-II कैटेगरी में प्रकाशित हुआ था तथा साक्षात्कार के बाद अंतिम परीक्षाफल BC-I कैटेगरी में प्रकाशित किया गया। विज्ञापन संख्या–03/2015 के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 10.12.2015 से दिनांक 09.01.2016 तक आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी अनुक्रमांक– 30151042 द्वारा ऑनलाईन आवेदन दिनांक 15.12.2015 को ऑनलाईन आवेदन भरा गया था तथा आवेदन पत्र में Caste Certificate No. CST/1601//14/03/815 दिनांक 07.07.2014 द्वारा BC-II कैटेगरी का दावा किया गया था। तदालोक में लिखित परीक्षा में उनका परीक्षाफल BC-II कैटेगरी में प्रकाशित किया गया। पुनः उक्त अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 07.12.2021 को साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन के क्रम में BC-I कैटेगरी में आरक्षण का दावा किया गया। इस दावे के क्रम में उनके द्वारा दिनांक 07.08.2018 को आयोग को समर्पित आवेदन के द्वारा जाति प्रमाण–पत्र (जो अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, हजारीबाग के प्रमाण–पत्र संख्या JHCC/2017/762432 दिनांक 19.06.2017 द्वारा निर्गत है) तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प ज्ञापांक 6548 दिनांक 23.07.2015 की प्रति संलग्न करते हुए BC-I आरक्षण श्रेणी में आरक्षण का लाभ अनुमान्य करने का अनुरोध किया गया। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्र संख्या 10080 दिनांक 27.11.2015 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि तेली (कुल्लु/गोराई) जाति के व्यक्तियों को नियुक्ति प्रक्रिया के अधीन यदि आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि 23.07.2015 के बाद पड़ती हो, तो उस जाति के व्यक्ति को अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची (अनुसूची–1) के आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी रोल नं0 30151042 के द्वारा दिनांक 15.12.2015 को ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया था तथा संदर्भित विज्ञापन संख्या 03/2015 के तहत आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 09.01.2016 निर्धारित थी, अतः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के उपर्युक्त संकल्प एवं पत्र के आलोक में उक्त अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त साक्षात्कार के उपरान्त अंतिम परीक्षाफल आरक्षित श्रेणी BC-I में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया एवं तदनुसार परीक्षाफल प्रकाशित किया गया।

कृ0पृ0उ0/–

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त चयन प्रक्रिया में की गई अनियमितता की जाँच कराकर दोषी के विरूद्ध दण्डनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग–I (एक) की अभ्यर्थी प्रेरणादीप को नियुक्ति दिलाने के विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–13/2022 का0 1398 /राँची दिनांक– 04 मार्च, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 651 दिनांक 26.02.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

228

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र के साथ–साथ राज्य अन्य सीमावर्ती थाना विधि व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है, जहाँ विधि व्यवस्था बनाये रखना प्रशासन के लिए हमेशा चुनौती बनी रहती है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अधिकतर सीमावर्ती थानाओं में आज भी वाहन के नाम पर वही वर्षों पुरानी एक जीप विद्यमान है;	राज्य के सीमावर्ती थानों में अधिकतर जीप के साथ–साथ टाटा–407, इन्भाइडर, बोलेरो, रक्षक, सुमो विक्टा, टाटा सफारी, थार जीप एवं मोटरसाईकिल उपलब्ध है तथा पुराने वाहनों का ससमय मरम्मति कराया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी सीमावर्ती थानों में वाहन उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में 242 अद्द रद्दीकृत वाहनों के विरूद्ध नये वाहनों के क्रय हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासी पदवर्ग समिति के स्वीकृति के उपरांत नये वाहनों का क्रय किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–04 / वि०स०(ता०)–101 / 2022–.....911..... / राँची, दिनांक– 06 / 03 / 2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–494, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

229

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–32 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एक भी महिला थाना स्थापित नहीं किया गया जबकि विधान सभा क्षेत्र से जिला मुख्यालय धनबाद 40–50 कि0मी0 की दूरी पर है;	अस्वीकारात्मक। गृह विभाग के अधिसूचना सं०–2462, दिनांक–29.06.2005 के द्वारा धनबाद जिला के सदर थाना को महिला थाना के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण धनबाद जिला है तथा यह वर्त्तमान में कार्यरत है।
2	क्या यह बात सही है कि खनन् औद्योगिक व घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण आये दिन महिलाओं के साथ कई अप्रिय घटनाएं घटी है महिला थाना नहीं होने के कारण महिलाएं सुलभ निःसंकोच होकर अपनी बात प्रशासन के समक्ष नहीं रख पाती है;	अस्वीकारात्मक। धनबाद जिला के निरसा विधान सभ क्षेत्र में महिलाओं के साथ अप्रिय घटना घटित होने पर संबंधित थाना/ओ०पी० द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं न्याय को ध्यान में रखते हुए निरसा विधान सभा क्षेत्र में महिला थाना स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	सम्प्रति धनबाद जिला के निरसा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अलग से महिला थाना के सृजन का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–05/2022–...912.../ राँची, दिनांक– 06/03/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–656, दिनांक–26.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का.– 04 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति की प्रक्रिया काफी धीमी है, जबकि अन्य राज्यों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 15 से 20 वर्ष में भा0प्र0से0 में प्रोन्नति मिल जाती है ;	अस्वीकारात्मक। राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति भा0प्र0से0 (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक दिनांक 31.12.1997, 25.07.2000, 31.01.2005 एवं 13.10.2005 द्वारा यथा संशोधित) के तहत प्रदान की जाती है। भा0प्र0से0 (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के नियम– 5(2) के प्रावधान के अनुसार विचारण सूची वरीयता–सह–अहर्ता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2019, 2020 एवं 2021 के रिक्तियों के विरूद्ध राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भा0प्र0से0 में प्रोन्नति देने की प्रक्रिया काफी धीमी है ;	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न वर्ष में राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति हेतु रिक्ति के सम्पुष्टि के उपरांत कार्रवाई की जाती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 14015/10/2021-AIS(I) दिनांक 17.12.2021 द्वारा वर्ष 2019 एवं 2020 के लिए संसूचित रिक्ति के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2021 के लिए उपलब्ध होने वाले रिक्ति की सम्पुष्टि हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 944 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। पुनः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1213 दिनांक 25.02.2022 के द्वारा संशोधित रिक्ति की सम्पुष्टि का अनुरोध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को प्रेषित है। वर्ष 2019 एवं 2020 के लिए संसूचित रिक्ति के आधार पर प्रस्ताव पूर्ण होने पर सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को भेजा जायेगा तथा वर्ष 2021 की रिक्ति की सम्पुष्टि के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भा0प्र0से0 में प्रोन्नति हेतु ससमय कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
<u>कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।</u>

ज्ञापांक– 3/विधानसभा–05–02/2022 का॰ **1249**/ राँची, दिनांक **26** फरवरी, 2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 166 वि.स. दिनांक 22.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.2022
(जानी चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

231

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–17 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड क्रमशः राजमहल एवं उधवा में नामशूद्र या नमोशूद्र जाति के लोग वर्षो से निवास कर रहे जो झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 45 पर तथा झारखण्ड राज्य के लिए पिछड़े वर्गो की केन्द्रीय सूची के क्रमांक–85 पर सूचीबद्ध है,	अंशतः स्वीकारात्मक। नामशूद्र जाति राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 45 पर तथा झारखण्ड राज्य के लिए पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची के क्रमांक–85 पर सूचीबद्ध है।
2.	क्या यह बात सही है कि डॉ रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से उक्त जाति के संदर्भ में प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके अनुसार नमोशूद्र जाति को आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से अनुसूचित जाति की श्रेणी में नही रखा गया है,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित जाति को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व राज नीतिक संरचना एवं अन्यान्य बातों पर विचार करते हुए पुनः स्थानीय स्तर पर अध्ययन व शोध प्रतिवेदन तैयार कर अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक नहीं तो क्यों?	वर्णित जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने हेतु पुनः शोध कराने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–15 / 2022 का0–1408 / रांची, दिनांक 05.03.2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–646, दिनांक–26.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

232

श्री बंधु तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0–WP(PIL) 4050/2002 के साथ–साथ WP(PIL) 3912/2002 प्रशांत विद्यार्थी एवं सुमन कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामलों में दिनांक–27.11.2002 को पारित आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा "झारखण्ड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान नीति घोषित की गयी थी;	स्वीकारात्मक। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद सं0–WP(PIL) 4056/2002 एवं WP(PIL) 3912/2002 में पारित आदेश के पश्चात् झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान से संबंधित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 निर्गत की गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना सं0–5932 (नियोजन नीति), दिनांक–14.07.2016 के अनुसार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले वर्षों के लिए राज्य के 24 जिलों में से 13 जिलों में जिला स्तरीय वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के रिक्त पदों पर संबद्ध जिले के स्थानीय नीति ही नियोजन के पात्र माने गये थे;	अंशतः स्वीकारात्मक। कार्मिक विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 द्वारा निम्न प्रावधान किया गया:– "इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के 13 जिलों– साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावाँ के मात्र स्थानीय निवासी ही इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की कालावधि के लिए सम्बन्धी जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे।"
3.	क्या यह बात सही है कि सोनी कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य WP(C)-1387/2017 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–21.09.2020 को अधिसूचना सं0–5938 (नियोजन नीति) को असंवैधानिक करार दिया, जिसके कारण हजारों नियुक्ति प्रक्रिया राज्य में फँसी पड़ी है;	अंशतः स्वीकारात्मक। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में संकल्प सं0–229, दिनांक–19.01.2022 द्वारा अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2019 एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 को आहरित करते हुए निम्नवत् निर्णय संसूचित है:– इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन, जो कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या–5938, दिनांक–14.07.2016 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 से आच्छादित हैं तथा जिनमें अबतक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। इन मामलों में अब नए सिरे से (ab-initio) विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी। दिनांक–21.09.2020 को सोनी कुमारी एवं अन्य के मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP No.-14485/2020 झारखण्ड राज्य बनाम सोनी कुमारी एवं अन्य दायर किया गया है, जो सम्प्रति माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नये सिरे से "स्थानीय नीति" को परिभाषित करने तथा "नियोजन नीति" निर्माण यथाशीघ्र करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाले विभिन्न स्तर की परीक्षाओं के संचालन से संबंधित संशोधित नियमावलियों का गठन कार्मिक विभागीय अधिसूचना सं0–3846, 3847, 3848, 3849, 3850, सभी दिनांक–10.08.2021, अधिसूचना सं0–7942, दिनांक–17.12.2021 आदि द्वारा किया गया है, जिसमें अन्य प्रावधानों के साथ–साथ झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, परन्तु झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होने का प्रावधान शिथिल होगा। साथ ही झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु "The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021" का भी गठन किया गया है। उपर्युक्त वर्णित विभिन्न संशोधित परीक्षा नियमावलियों द्वारा राज्य में नियोजन संबंधी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान संबंधी नीति संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 द्वारा संसूचित है। राज्य में लागू स्थानीय नीति की पुर्नसमीक्षा हेतु एक त्रि–सदस्यीय मंत्रिमण्डलीय उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–09/2022 का0–1407/रांची, दिनांक 05.03.2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–165, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(222)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के मोहम्मदगंज प्रखण्ड के रामबांध पंचायत की दूरी थाना व प्रखण्ड मुख्यालय से 14–15 किलोमीटर है, जबकि हैदरनगर थाना व प्रखण्ड मुख्यालय से रामबांध पंचायत की दूरी मात्र 02–03 किलोमीटर है;	आंशिक स्वीकारात्मक। रामबांध पंचायत की दूरी थाना एवं प्रखण्ड मुख्यालय से करीब 14–15 किलोमीटर है जबकि हैदरनगर थाना एवं प्रखण्ड मुख्यालय से रामबांध पंचायत की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है।
2	क्या यह बात सही है कि रामबांध पंचायत में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण हेतु हैदरनगर थाना ज्यादा श्रेयस्कर होगा तथा वहाँ के लोगों को हैदरनगर थाना व प्रखण्ड आने–जाने में दूरी कम होने के कारण काफी सुविधा होगी;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रशासनिक एवं जनहित में रामबांध पंचायत को मोहम्मदगंज थाना व प्रखण्ड से हटाकर हैदरनगर थाना व प्रखण्ड में सम्मिलित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. वर्त्तमान में इस तरह को कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। 2. प्रश्न प्राप्त होने के पश्चात् इस संबंध में प्रस्ताव की मांग पुलिस मुख्यालय, आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर एवं उपायुक्त, पलामू से की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–01 / 2022–...903.... / राँची, दिनांक–06/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–125, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में 2018–19 में पुलिस हिरासत में 3 और न्यायिक हिरासत में 64 वर्ष 2019–20 में पुलिस हिरासत में 2 और न्यायिक हिरासत में 43 वर्ष 2020–2021 में पुलिस हिरासत में 5 और न्यायिक हिरासत में 49 नागरिकों की मौत हुई;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसे रोकने के उपाय करना चाहती है तथा इनके आश्रितों को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में मृत्यु की घटनाओं को रोकने के लिए कारा हस्तक के अध्याय–XXIII में निहित प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। पुलिस प्रशासन/कारा प्रशासन की लापरवाही से पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में किसी नागरिक की मृत्यु होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा के आलोक में मृतक के आश्रित को आर्थिक मुआवजा का भुगतान किया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–02/2022–.....902...../ राँची, दिनांक– 06/03/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–127, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

235

श्री नवीन जायसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य गृह रक्षा वाहिनी में कार्यरत गृह रक्षकों का अपने कर्तव्य भत्ता/प्रशिक्षण भत्ता के रूप में प्रत्येक कार्य दिवस का 500 रूपया दिया जाता है, इसके अलावा इन्हें किसी अन्य प्रकार की सुविधा एवं भत्ता नहीं दिया जाता है;	अस्वीकारात्मक। • गृह रक्षकों को सामान्य स्थिति में प्रति कार्यदिवस 500 रू0 अनुमान्य है। • राज्य अन्तर्गत चुनाव ड्यूटी के लिए डेढ़ गुणा एवं चुनाव डयूटी हेतु राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर दो गुणा दैनिक भत्ता अनुमान्य है। • प्रत्येक गृह रक्षकों को वर्दी भत्ता की राशि प्रत्येक 4 वर्षो में 3000/– रूपये अनुमान्य है। • ड्यूटी एवं प्रशिक्षण हेतु कॉल–अप किये जाने पर एकमुश्त 100 रू0 यात्रा भत्ता अनुमान्य है। • उग्रवादी हिंसा में मृत्यु की स्थिति में मृत गृह रक्षक के आश्रित को रू0 10,00,000/– (दस लाख) अनुग्रह अनुदान एवं एक योग्य आश्रित को सरकारी नौकरी का प्रावधान है। • चुनाव ड्युटी के दरम्यान गृह रक्षक के मृत्यु होने पर मृत गृह रक्षक के आश्रित को 15,00,000/– (पन्द्रह लाख) अनुग्रह अनुदान अनुमान्य है। इस राशि का भुगतान संबंधित जिला के उपायुक्त/चुनाव आयोग के स्तर से किया जाता है। • गृह रक्षकों के कर्तव्य के दौरान मृत्यु की स्थिति में मृत गृह रक्षक के आश्रित को 2,00,000/– (दो लाख) अनुग्रह अनुदान एवं एक योग्य आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर गृह रक्षक के रूप में नवनामांकित किया जाता है। • प्रभावी बल के गृह रक्षक को किसी बीमारी के ईलाज में हुए व्यय की नियमानुसार प्रतिपूर्ति गृह रक्षक कल्याण कोष से की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि दूसरे राज्य जैसे बिहार राज्य में गृह रक्षकों को 744 रूपया प्रति कार्य दिवस एवं उत्तर प्रदेश राज्य में गृह रक्षकों को 936 रूपया प्रति कार्य दिवस एवं अन्य सुविधा और भत्ता दिया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में झारखण्ड राज्य में गृह रक्षकों को प्रति कार्य दिवस के एवज में मिलने वाली न्यूनतम राशि के कारण यहां की गृह रक्षकों की स्थिति दयनीय है, जिस कारण गृह रक्षकों का मनोबल गिर गया है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के गृह रक्षकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए बिहार राज्य या उत्तर प्रदेश राज्य के तर्ज पर प्रति कार्य दिवस भुगतान एवं अन्य सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–01, 02 एवं 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स०(ता०प्र०)–13/2022–917/ राँची, दिनांक–06/03/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–584, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

236 16

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत कामगारपुर पुलिस पिकेट की स्थापना वर्ष 2007 में की गई है, जो वर्त्तमान में कामगारपुर स्कूल के भवन में संचालित है;	स्वीकारात्मक। पुलिस पिकेट की स्थापना वर्ष 2007 में की गई है, जो वर्त्तमान में कामगारपुर में पुलिस पिकेट एक बंद स्कूल के भवन में संचालित है और उक्त स्कूल भवन दूसरा जगह संचालित हो रहा है। कामगारपुर पुलिस पिकेट हुसैनाबाद थाना से करीब 04 कि०मी० की दूरी पर हुसैनाबाद–छत्तरपुर रोड में मुख्य पक्की सड़क के किनारे अवस्थित है।
2	क्या यह बात सही है कि कामगारपुर पुलिस पिकेट के भवन निर्माण कराने हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गई है;	कामगारपुर पुलिस पिकेट का भवन निर्माण कराने हेतु हुसैनाबाद थानान्तर्गत ग्राम–कुर्मीपुर में खाता संख्या–49, प्लॉट संख्या–08, रकबा मात्र 19 डिसमिल जमीन दान की गई है। पुलिस अधीक्षक, पलामू द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि पर भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजी जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कामगारपुर पुलिस पिकेट के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०–10-14/2022–913/ राँची, दिनांक– 06/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–129, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

237

श्रीमती ममता देवी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–31 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखण्ड में थाना का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि दुलमी प्रखण्ड से थाना की दूरी लगभग 20 कि0मी0 है दुलमी में किसी प्रकार की अप्रिय घटना (काण्ड) हो जाने पर लोगों को थाना जाने–आने पर बहुत समय लगता है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि दुलमी में थाना का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दुलमी में थाना के निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखण्ड में थाना सृजन का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुआ है, सम्प्रति थाना सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03 / वि०स० (ता०)–804 / 2022–...909... / राँची, दिनांक–06/03/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–588, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

238

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–07.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या विधि–04 का उत्तर सामग्री।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला बार एसोसिएशन में 500 से अधिक वकील कार्यरत है, परन्तु उनके बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है;	:–	स्वीकारात्मक। (जिला अधिवक्ता संघ, पलामू से प्राप्त पत्रांक–87 दिनांक–03.03.2022 के अनुसार)
2.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला बार एसोसिएशन द्वारा वकालतखाना निमार्ण हेतु दस करोड़ रूपये की निधि उपलब्ध कराने की मांग की गई है;	:–	अस्वीकारात्मक। जिला बार एसोसिएशन निबंधित संस्था के रूप में कार्य करती है। (भवन निर्माण विभाग से प्राप्त पत्रांक–756 (भ) दिनांक–03.03.2022 के अनुसार)
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला बार एसोसिएशन को भवन निर्माण हेतु वर्ष 2022–2023 के बजट में राशि का प्रावधान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	:–	जिला बार एसोसिएशन के आंतरिक कोष से समय–समय पर असैन्य निर्माण कराया जाता है। भवन निर्माण द्वारा इस कार्य हेतु कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। (भवन निर्माण विभाग से प्राप्त पत्रांक–756 (भ) दिनांक–03.03.2022 के अनुसार)

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0/विधि–वि0स0प्र0–12/2022–441/जे0 राँची, दिनांक–04 मार्च, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–652/वि0स0, दिनांक–26.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

04/03/2022

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

239

माननीय स०वि०स० श्री अमित कुमार मंडल द्वारा दिनांक 07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–20 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों में स्वीकृत पद के विरूद्ध कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है, जिनकी सं०–52 है, इन सबों को समानरूप से मानदेय भुगतान किया जाता है,	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** गोड्डा जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:– **(डी०आर०डी०ए०)** (i) मनरेगा–07 मानदेय–10,000.00 (ii) PMAY-G–02 मानदेय–10,000.00 **(शिक्षा विभाग)** (i) समग्र शिक्षा (जिला कार्यालय)–03 मानदेय–23,762.00 (ii) समग्र शिक्षा (प्रखण्ड कार्यालय)–06 मानदेय–15,000.00 **(जिला निर्वाचन कार्यालय)** (i) निर्वाचन–15 मानदेय–26,300.00
2.	क्या यह बात सही कि प्रखण्ड/अंचल स्तर पर भी अनुबंध के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत है,	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** प्रखण्ड में अनुबंध के आधार पर एवं अंचल में बाह्य स्रोत के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत है।
3.	क्या यह बात सही कि खण्ड–1 एवं खण्ड–2 में कार्यरत कम्प्युटर ऑपरेटर एक ही जगह पर आठ–दस वर्षों से कार्यरत रहने से कार्य के प्रति लापरवाही और आचरण सही नहीं होने के कारण आमजनों को ऑनलाईन कार्यों में परेशान किया जाता है,	**अस्वीकारात्मक।** उपलब्ध कार्यबल एवं संसाधन से आमजनों की समस्याओं का निष्पादन किया जाता है। कार्य में लापरवाही बरतने का मामला संज्ञान में आने पर जाँचोपरान्त वांछित कार्रवाई किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा द्वारा समय–समय पर स्थानान्तरण किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में कार्यरत कम्प्युटर ऑपरेटर को अन्यत्र स्थानांतरण करने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–05/2022 का०– 1411 /राँची, दिनांक– 05/03/2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–649 दिनांक–26.02.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/3/2022

(ब्रज माधव)
सरकार के अवर सचिव।

240

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत मनातू प्रखण्ड जंगल एवं पहाड़ों से घिरा हुआ एक नक्सल प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मनातू प्रखण्ड के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों के रोकथाम एवं आमलोगों को कानून व्यवस्था का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम मिटार में पुलिस पिकेट की व्यवस्था की गई है जहाँ आधारभूत संरचनाओं तथा बुनियादी सुविधाओं की कमी है;	अस्वीकारात्मक। मिटार में अस्थायी रूप से पिकेट स्थापित है एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मिटार पुलिस पिकेट में आधारभूत संरचनाओं, बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस संदर्भ में उक्त क्षेत्र के नक्सल परिदृश्य की समीक्षा की जा रही है। बदलते नक्सल परिदृश्य में स्थायी पिकेट के आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। अगर जरूरत होगी तो भविष्य में इस संदर्भ में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–04/2022–....906.../ राँची, दिनांक– 06/03/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–592, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

241

डॉ० इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत जिला मुख्यालय से नारायणपुर प्रखण्ड करमाटांड प्रखण्ड तथा मिहिजाम नगर पंचायत की दूरी क्रमशः लगभग 25,20 से 16 किलोमीटर है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखण्डों एवं नगर पंचायत स्थित विभिन्न स्थानों पर आगजनी की घटना होने पर दूरी के कारण अग्निशमन वाहन (फायर टेंडर) समय पर नहीं पहुँच पाता है, जिससे लोगों के जानमाल की रक्षा कर पाने में विभाग को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। जामताड़ा जिला मुख्यालय में 02 (दो) अग्निशमन वाहन क्रियाशील है। प्रखण्डों एवं नगर पंचायत स्थित विभिन्न स्थानों पर आगजनी की घटना की सूचना मिलतें ही जिला मुख्यालय से अग्निशमन वाहन भेजकर त्वरित कार्रवाई की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों एवं नगर पंचायत के लिए अलग–अलग अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जामताड़ा जिला मुख्यालय में 02 (दो) अग्निशमन वाहन क्रियाशील है। जामताड़ा जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखण्ड, करमाटांड प्रखण्ड तथा मिहिजाम नगर पंचायत में आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय से अग्निशमन वाहन भेजकर त्वरित कार्रवाई की जाती है, इसलिए अलग से अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05/वि०स०प्रश्न–07/01/2022–919/ राँची, दिनांक– 06/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–587, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06-03-2022
सरकार के उप सचिव।

242

श्री सरयू राय, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 07.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–वि0–03 का उत्तर सामग्री

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि संविधान के अनुच्छेद–243–झ में प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है।	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों एवं आगमों को राज्य एवं पंचायतों के बीच विभाजित करना राज्य वित्त आयोग के गठन का उद्देश्य है।	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य निर्माण के 21 वर्ष बाद भी झारखण्ड में राज्य वित्त आयोग का नियमानुसार गठन नहीं होने से पंचायती राज्य एवं नगरपालिका व्यवस्था में विकास कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।	आंशिक स्वीकारात्मक 1. पंचायती राज, एन0 आर0 ई0 पी0 (पंचायत राज निदेशालय) की अधिसूचना संख्या–95 दिनांक–28.01.2004 एवं अधिसूचना संख्या–1166 दिनांक–19.12.2009 के द्वारा क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। 2. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–1012/वि0 दिनांक–08.04.2015 एवं अधिसूचना संख्या–1955 दिनांक–23.07.2019 द्वारा क्रमशः तृतीय एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो झारखण्ड में राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं होने का कारण क्या है और क्या सरकार इसे गठित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट की गई है । सम्प्रति राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधी सेवा–शर्त नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है ।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञाप सं0:– 10/वि0स0(9)– 06/22 37/वि0 राँची दिनांक :– 4/03/2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 490 वि0स0 दिनांक 25.02.2022 के आलोक में प्रश्नोत्तर की अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

04-03-2022

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

श्री समीर कुमार मोहती, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–39 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार द्वारा दिनांक–01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर सभी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों को पुनरीक्षित दर पर दी जा रही है, परंतु पुलिस कर्मियों को यह लाभ नहीं मिल रहा है;	अस्वीकारात्मक। वित्त विभाग के संकल्प सं०–737, दिनांक–27.03.2018 द्वारा सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों को अनुमान्य विभिन्न भत्तों को पुनरीक्षित किया गया है, जिसका लाभ पुलिस कर्मियों को भी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को देय अन्य भत्तों को सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो सम्प्रति विचाराधीन है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के पुलिस कर्मियों की भावना व मांग को दृष्टिगत रखते हुए सातवें वेतन आयोग को अनुशंसा के आलोक में देय भत्तों को पुरीक्षति दर पर देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 में वस्तु–स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–09 / 2022–904 / राँची, दिनांक– 06/03/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–771, दिनांक–28.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

244

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में ''खतियान'' सिर्फ जमीन का कागत नहीं, आर्थिक–सामाजिक इतिहास का दस्तावेज है। झारखण्ड में जो भू–सर्वेक्षण किया गया उसमें न सिर्फ जमीन के आकार–प्रकार का रिकॉर्ड दर्ज किया गया बल्कि उस जमीन पर रहनेवाले लोगों के आचार–विचार और उनके अधिकारों का उल्लेख किया गया है तथा आज भी ''खतियान'' यहाँ के भूमि अधिकारों का मूल दस्तावेज या संविधान है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। खतियान भूमि का वर्गीकरण एवं भूमि अधिकार का मूल दस्तावेज है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में जो पहला लैंड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। उसे तीन भागों मे प्रकाशित किया गया। 1–''खेवट'' 2–''खतियान'' 3–''विलेज नोट''। आजादी से पहले झारखण्ड में कई बार भूमि का सर्वेक्षण हुआ। यथा राँची जिले में तो साल 1902–10 के बीच भू–सर्वेक्षण किया गया। 1927–28 के दौरान इसका पुनरीक्षण किया गया। इसे सर्वेक्षण में कई शब्दों का प्रचलन हुआ जो आज तक कायम है एवं खतियान के साथ झारखण्ड के आदिवासियों और मूलवासियों का भावनात्मक लगाव है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार 1932 खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	वर्तमान में झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान संबंधी नीति संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 द्वारा संसूचित है। राज्य में लागू स्थानीय नीति की पुर्नसमीक्षा हेतु एक त्रि–सदस्यीय मंत्रिमण्डलीय उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–11 / 2022 का0–1401 / रांची, दिनांक 05/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–156, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/3/22
(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(245)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–का–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पंचायत–बलसगरा, हुवाग, होन्हेमोढ़ा एवं रबोध हजारीबाग जिला के अंतर्गत आते है, जिनका पुलिस थाना–मांडू, जिला–रामगढ़ में कर दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत के शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी में जाति, आवासीय प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति में घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में पंचायत–बलसगरा, हुवाग, होन्हेमोढ़ा एवं रबोध को हजारीबाग जिला के थाना गिद्दी में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. हजारीबाग जिला के पंचायत–बलसगरा, हुवाग, होन्हेमोढ़ा एवं रबोध को माण्डू थाना के कार्य क्षेत्र से विमुक्त कर गिद्दी थाना के कार्य क्षेत्र से सम्बद्ध करने संबंधी प्रस्ताव की मांग पुलिस मुख्यालय, आयुक्त, उ०छो० प्रमण्डल, हजारीबाग एवं उपायुक्त, हजारीबाग/रामगढ़ से की गई है। 2. सम्प्रति प्रस्ताव अप्राप्त है। स्मारित किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–07/2022–.....211...../ राँची, दिनांक–06/03/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–650, दिनांक–26.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

246

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 23 नवम्बर, 2004 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में छोटानागपुर की कुरमी/कुड़मी (महतो) तथा उत्तरी छोटानागपुर तथा संथाल परगना की घरवार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु अनुशंसा किया गया था;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। दिनांक–23.11.2004 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में अन्य निर्णय के साथ–साथ निर्णय लिया गया था कि छोटानागपुर की कुरमी/कुड़मी (महतो) तथा उत्तरी छोटानागपुर तथा संथाल परगना की घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को इस परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा की जाए कि उक्त जातियां क्रमशः 1913 एवं 1938 में जनजाति की सूची में थी, किन्तु 1950 एवं 1952 की सूची में शामिल न किए जाने के कारण स्पष्ट नहीं है। उक्त जातियों के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए उठती मांगों के आधार पर भारत सरकार उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु पुनर्विचार करे।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त बैठक के प्रस्ताव सं0–1 की कंडिका-ii में नमः शुद्र को S.C. में बियार एवं कोल्ह (तेली) को S.T. में तथा चन्द्रवंशी (कहार) एवं खेतौरी को S.C./S.T. की सूची में शामिल करने हेतु अनुशंसा किया गया था;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त बैठक के प्रस्ताव सं0–1 की कंडिका–iii में ततवा करमाली (कमार),लोहरा/लोहार/बोदिया /लक्ष्मी नारायण गोला, माल, दण्डक्षत्र मांझी जातियों के संबंध में T.R.I. Ranchi से शीघ्र प्रतिवेदन की मांग की गई थी;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्तसंबंधी व्यौरा एवं अनुपालन की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो, क्यों?	उपर्युक्त वर्णित जातियों की अद्यतन स्थिति निम्नवत् हैः– 1. **कुरमी/कुड़मी (महतो)**– डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के 2020 के प्रतिवेदन में झारखण्ड राज्य में निवासरत कुरमी/कुड़मी (महतो) जाति को न तो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में और न अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे जाने की अनुशंसा की गई है। इसे यथास्थिति बनाये रखे जाने की अनुशंसा की गई है। श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 के गैर सरकार संकल्प के प्रसंग में माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा सदन में दिनांक–09.09.2021 को दिए गए वक्तव्य के आलोक में विभागीय पत्रांक–159, दिनांक–14.02.2022 द्वारा शोध संस्थान अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई है। वर्तमान में कुडमी/कुर्मी (महतो) जाति राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 06 पर सूचीबद्ध है। 2. **घटवार/घटवाल**– डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के पत्रांक–387, दिनांक–03.08.2018 द्वारा वर्ष 1989 से 2018 तक कुल 07 अध्ययन प्रतिवेदन का सारांश उपलब्ध कराया गया, जिसमें घटवार/घटवाल जाति को भुईंया (अनुसूचित जाति) से उत्पत्ति होने एवं सदृश्य लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जाति में शामिल करने पर विचार किए जाने का निष्कर्ष अंकित है। वर्तमान में घटवार/घटवाल जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संबंध में स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का पुनः अनुरोध डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से किया गया है, जिस

		हेतु विभागीय पत्रांक–10, दिनांक–03.01.2022 को स्मारित भी किया गया है। वर्तमान में घटवार जाति राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 2 के क्रमांक 07 पर सूचीबद्ध है। 3. **नमः शुद्र**– डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से प्राप्त निष्कर्ष एवं अनुशंसा के अनुसार नमः शुद्र जाति में अनुसूचित जाति के बुनियादी संघटक नहीं पाए जाते। अतः इस जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का कोई ठोस आधार नहीं दिखता है। वर्तमान में नामशूद्र जाति राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 45 पर सूचीबद्ध है। 4. **बियार**– डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से प्राप्त निष्कर्ष एवं अनुशंसा के अनुसार बियार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान में बियार जाति राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 126 पर सूचीबद्ध है। 5. **कोल्ह (तेली)**– डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से प्राप्त निष्कर्ष एवं अनुशंसा के अनुसार कोल्ह तेली या तेली जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान में तेली (कुलु/गोराई) जाति राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 121 पर सूचीबद्ध है। 6. **चन्दवंशी कहार**– डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से प्राप्त निष्कर्ष एवं अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड एवं शोध संस्थान द्वारा तैयार की गई शोध प्रतिवेदन के आधार पर इस जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं नजर आता है। वर्तमान में चन्द्रवंशी (कहार) जाति राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 30 पर सूचीबद्ध है। 7. **खेतौरी**– डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के पत्र सं0–388, दिनांक–03.08.2018 के माध्यम से खैतौरी जाति के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ''इस जाति को पिछड़ी जाति की सूची में यथास्थिति के रुप में बनाये रखा जा सकता है।'' पुनः शोध संस्थान के पत्र सं0–207, दिनांक–04.02.2019 के द्वारा प्राप्त खेतौरी जाति से संबंधित प्रतिवेदन में स्पष्ट मंतव्य नहीं होने के कारण स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का पुनः अनुरोध डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से किया गया है, जिस हेतु विभागीय पत्रांक–502, दिनांक–02.02.2022 के द्वारा स्मारित भी किया गया है। वर्तमान में खतौरी जाति राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 15 पर सूचीबद्ध है। 8. **ततवा**– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तांती(ततवा) जाति को पान, स्वांसी के पर्याय के रूप में अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के झारखण्ड सरकार के प्रस्ताव को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रसंस्कृत कर निरस्त कर दिया गया है।

		तदोपरान्त कोल्हान प्रमण्डल में निवासरत तांती (ततवा) समुदाय को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध करने के बिन्दु पर वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रतिवेदन की मांग डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से की गई है। वर्तमान में तांती (ततवा) जाति राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 33 पर सूचीबद्ध है। 9. **करमाली**– करमाली जाति झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 14 पर सूचीबद्ध है। 10. **लोहरा**– लोहरा जाति झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 21 पर सूचीबद्ध है। 11. **लोहार**– डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के पत्र सं0–381, दिनांक–03.08.2018 के माध्यम से लोहार जाति के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ''लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।'' वर्तमान में कमार (लोहार/कर्मकार/मड़ैया) जाति राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 120 पर सूचीबद्ध है। 12. **बेदिया**– बेदिया जाति झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 05 पर सूचीबद्ध है। 13. **लक्ष्मी नारायण गोला**– दिनांक–04.12.2004 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में लक्ष्मी नारायण गोला जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। संकल्प सं0–6374, दिनांक–11.12.2004 के द्वारा पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक –41 पर ''लक्ष्मी नारायण गोला'' जोड़ा गया। 14. **माल**– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माल (मल्ल क्षत्रिय) जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के झारखण्ड सरकार के प्रस्ताव को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निरस्त कर दिया गया है। 15. **दण्डक्षत्र मांझी**– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दण्डछत्र मांझी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के झारखण्ड सरकार के प्रस्ताव को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निरस्त कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–04/2022 का0–1409/रांची, दिनांक 05.03.2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–124, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

247

श्री अमित कुमार मंडल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का0 25 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने जनगणना निदेशालय से प्राप्त जनगणना रिपोर्ट वर्ष–2011 में अंगिका भाषा भाषियों का आंकड़ा सम्मिलित नहीं होने के कारण राज्यस्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरियों से अंगिका भाषा को बाहर कर दिया;	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं के लिए गठित परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावालियों में राज्य स्तरीय पदों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के पत्र–2 में चिन्हित 12 क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं (यथा– उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा) /हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया) भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन विकल्प के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है। उक्त सूची में अंगिका भाषा शामिल नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ एवं जामताड़ा जिले में 30 लाख से ज्यादा वर्ष 1932 के खतियानधारी निवास करते है, जिनकी बोलचाल की भाषा अंगिका है;	जनगणना निदेशालय भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट में झारखण्ड राज्य में अंगिका भाषा–भाषियों का ऑकड़ा सम्मिलित नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा जिले के राज्यस्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में अंगिका भाषा को सम्मिलित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची की अधिसूचना संख्या 953 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिला स्तरीय पदों के लिए पत्र 2 हेतु चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं की सूची में देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ एवं जामताड़ा जिला हेतु अंगिका भाषा शामिल है। ' राज्यस्तरीय एवं जिलास्तरीय पदों के लिए चिन्हित उपरोक्त क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा को सम्मिलित/विलोपित करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–15/2022 का0 1373 /राँची दिनांक– 04 मार्च, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 754 दिनांक 28.02.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

(248)

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–27 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला एवं आस–पड़ोस के कुछ जिलों में कुछ लोगों के खतियान में चिक, बड़ाईक एवं लोहरा शब्द दर्ज है, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति के अधीन जाति प्रमाण पत्र देने के लिए चीक लोहरा या बड़ाईक दर्ज वालों के लिए चिक लोहरा जाति के सामाजिक अगुवाओं जाति के सामाजिक रूप में प्रतिष्ठ (सामाजिक अगुआ) लोगों की अनुशंसा पर दिया जाता है, जिसे सरकार द्वारा दिसम्बर–2002 ई0 में अधिकृत किया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–10 पर चीक–बड़ाईक एवं क्रमांक–21 पर लोहरा सूचीबद्ध है। तद्नुसार उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र अनुमान्य है। समाहरणालय, सिमडेगा के पत्रांक–402(ii), दिनांक–04.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–355, दिनांक–19.01.2006 एवं पत्रांक–6327, दिनांक–20.11.2002 के आलोक में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऐसे सामाजिक अगुवाओं की अनुशंसा की आवश्यकता को समाप्त करते हुए अगुआ पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–18 / 2022 का0– 1405 / रांची, दिनांक 05.03.2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–770, दिनांक–01.03.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(249)

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का0 10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में नई नियोजन नीति विभागीय संकल्प संख्या– 821 दिनांक 05.02.2021 की कंडिका–04(ख) यथा इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व अराजपत्रित समूह 'ख', समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विज्ञापन, जो संबंधित विभागीय संकल्प संख्या– 3854 दिनांक 01.02.2018 से आच्छादित है तथा जिनमें अबतक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं की गई उक्त विज्ञापन संख्या– 03/2018, 04/2018, 05/2018, 01/2019, 02/2019 एवं 03/2019 को सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया, जबकि उक्त विज्ञापनों से सरकार को 10 लाख अभ्यर्थियों द्वारा लगभग 50 करोड़ रूपयें राशि परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पत्रांक 245 दिनांक 25.02.2022 के अनुसार प्रश्नगत विज्ञापनों से परीक्षा शुल्क के रूप में लगभग रु0 25,98,00,000/– (पच्चीस करोड़ अन्ठावे लाख) की राशि प्राप्त हुई है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 01 में वर्णित विज्ञापन के आलोक में जिन अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क ली गई है उसे उक्त परीक्षा का पुनः आवेदन देने के समय परीक्षा शुल्क नही देनी होगी;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में नैसर्गिक न्याय के तहत् खण्ड–01 में वर्णित विज्ञापन से संबंधित अभ्यर्थियों से वसूली गई परीक्षा शुल्क की राशि वैसे सभी अभ्यर्थियों को जो उक्त परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, वापस करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	वैसे अभ्यर्थी जिनसे खण्ड–1 में वर्णित विज्ञापनों के आलोक में परीक्षा शुल्क ली गई है एवं जो नए विज्ञापनों के अन्तर्गत निहित अहर्त्ताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन अभ्यर्थियों द्वारा दावा करने पर परीक्षा शुल्क आयोग द्वारा वापस करने पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–11/2022 का0 1327 /राँची दिनांक– 02 मार्च, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 167 दिनांक 22.02.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जिला हजारीबाग, रामगढ़ एवं राँची के होमगार्ड की बहाली में भारी गड़बड़ी सामने आयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गड़बड़ी के कारण बहाली की प्रक्रिया पूरे राज्य में ठप है;	अस्वीकारात्मक। अन्य जिलों में नियमित नामांकन की कार्रवाई की गई है। महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा का कार्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा संबंधित जिले के उपायुक्तों को गृह रक्षकों के नामांकन के निमित्त नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गड़बड़ी में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य में नये सिरे से बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गड़बड़ी के संबंध में जाँच कर दोषी पदा०/कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स०(ता०प्र०)–12/2022–212/ राँची, दिनांक– 16/03/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–590, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

251

श्री निरल पुरती, मा०स0वि0स0 द्वारा दिनांक 07.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जन–01 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं एवं संस्कृति पर आधारित डॉक्युमेंट्री फिल्म का निर्माण नहीं होने से क्षेत्रीय लोग भाषाई संवर्धन एवं प्राचीन इतिहास से अवगत नही हो पा रहे है;	अस्वीकारात्मक। राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं एवं संस्कृति पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार क्षेत्रीय भाषाओं एवं संस्कृति पर आधारित डॉक्युमेंट्री फिल्म का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खण्ड 1 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था०(वि०स०)06/01/2021–सू०ज०स०...86... रांची दिनांक...04.03.22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या 583, दिनांक 25.02.2022 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव

252

श्री राजेश कच्छप, माननीय सा0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का0–24 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री राजेश कच्छप, माननीय सा0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि Ranchi Collectorate में पदस्थापित लिपिक संवर्ग के 18 कर्मी पाँच वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत् है जो बोर्ड ऑफ मिसलेनियस रूल 1998 के प्रावधानों के विरूद्ध है?		राँची समाहरणालय में लिपिक संवर्ग के अनुभवी एवं वरीयतम लिपिक के लगातार सेवानिवृत्ति के कारण उत्कृष्ठ एवं वृहत अनुभवी लिपिकों की वृहत कमी परिलक्षित है। लोकहित एवं कार्यहित में निहित 18 वृहत अनुभवी एवं उत्कृष्ट लिपिकों की सेवा जिला मुख्यालय के विभिन्न महत्वपूर्ण शाखाओं एवं सदर अनुमंडल में ली जा रही है। जिला प्रशासन प्रयासरत् है कि उक्त लिपिकों के प्रतिस्थानी के रूप में कनीय लिपिक कार्य अनुभव प्राप्त करें, ताकि बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 में निहित प्रावधान के अनुरूप इनका पदस्थापन एवं स्थानांतरण किये जाने पर विभिन्न महत्वपूर्ण शाखाओं एवं कार्यालयों के कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता प्रभावित न हो।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी Collectorate में वर्षों से एक ही जगह कर्मियों के पदस्थापित रहने के कारण भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की आशंका बनी रहती है,		कोई टिप्पणी नहीं।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित विषय पर कदम उठाते हुए एक ही जगह पाँच वर्षों से कार्य करने वाले लिपिकों का स्थानांतरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?		समय–समय पर आवश्यकतानुसार स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–3/अ0क्षे0स्था0वि0स0 (तारा0)–25/2022 733 /रा0 राँची, दिनांक– 05.03.2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–653/वि0स0, दिनांक–26.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

F:Revenue/Vidhansabha Ques. /All Ques./ teresa

253

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–33 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2004 के बाद बहाल पुलिस जवानों के लिए पेंशन योजना का कोई लाभ देय नहीं है;	अस्वीकारात्मक। राज्य में 2004 के बाद बहाल पुलिस जवानों के लिए **National Pension Scheme (NPS)** योजना का लाभ देय है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में मुसहरी कमिटी के अनुशंसा के अनुरूप जवानों को आठ घंटे की सेवा व साप्ताहिक अवकाश से वंचित रखा गया है;	अस्वीकारात्मक। मुसहरी कमिटी की अनुशंसा के आलोक में राज्य के पुलिस कर्मियों से आठ घंटे तथा सप्ताह में छः दिन से अधिक कार्य नहीं लिए जाने का आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी संबंधित को निर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुसहरी कमिटी की अनुशंसा एवं पेंशन योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15 / वि०स०–01 / 2022–......208... / राँची, दिनांक– 06/03/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–657, दिनांक–26.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।